"प्रशासन गांवों के संग अभियान-202

प्रतिवेदन पटवारी हल्का:- इटोरा

[illegible] मंडूका पुत्र [illegible] निवासी [illegible] जिला सीकर [illegible] रामावतार पुत्र [illegible] के [illegible] रामावतार पुत्र शिवनाथ [illegible] है। अतः मृतक मांडूका के खाता सं. 281, 282, 297 में रामावतार पुत्र शिवनाथ का नाम दर्ज किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी
15/05/23
प. इटोरा

जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत:- [illegible]

मृतक प्रार्थी के खसरा पत्र रिपोर्ट व हल्का के ग्राम मंडूका की नमाबंदी के खाता सं. 281, 282, 297 में रामावतार पुत्र [illegible] व रामावतार पुत्र शिवनाथ के स्थान पर रामावतार पुत्र शिवनाथ अंकित है। अतः प्रार्थी का नाम रामावतार पुत्र शिवनाथ अंकित करने की आदेश दिया है।

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक
15-05-23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 202

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

[illegible] मंडूका की खसरा सं. 281, 282, 297 में प्रार्थी के खाता कार्ड में रामावतार पुत्र [illegible] के स्थान पर रामावतार पुत्र शिवनाथ अंकित है। प्रार्थी के खाता कार्ड में रामावतार पुत्र [illegible] के स्थान पर रामावतार पुत्र शिवनाथ अंकित करने की [illegible] है।

हस्ताक्षर तहसीलदार
तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

आदेश (शिविर स्थान:- [illegible] 15.5.2023)

[illegible] एवं तहसीलदार की [illegible] के अनुसार मांडूका के खाता सं. 281, 282, 297 में दर्ज रामावतार पि. [illegible] के स्थान पर रामावतार पुत्र शिवनाथ दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

शिविर प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-202
उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर अजीतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.13 10:19:07 IST
Reason: SelfAttested